न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 3208 /विधि सहरसा, दिनांक 01-11-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-23/2020 एवं 83/2020 में दिनांक-31.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी वाद सं0-01/2020 एवं 02/2020 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-04+05 एवं अन्य कागजात-90+84 कुल-183 पृ0) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- अर्चना कुमारी, पति-रविन्द्र यादव / दीपिका कुमारी, पति-संतोष कुमार / सुलोचना देवी, पति-विरेन्द्र कुमार यादव सभी सा0-महुआ, मझाड़ी, थाना+प्रखंड-निर्मली, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

परियोजना पदाधिकारी, सुपौल अंतर्गत ग्राम पंचायत मँझारी स्थित वार्डनं0-02 के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-92 हेतु आमसभा के द्वारा चयन को 01/2020 में यथावत रखा गया है एवं 02/2020 में आमसभा के चयन को गलत बताते हुए अर्चना कुमारी को चयनमुक्त करते हुए विपक्षी सुलोचना देवी का चयन करने का आदेश पारित किया गया है।

सदर्भित मामला संक्षेप में मामला निम्न हैः-

बाल विकास परियोना, सुपौल अन्तर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड नं0-02 स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-92 पर सेविका चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त केन्द्र के सेविका चयन हेतु दिनांक 14.10.2019 को आयोजित आमसभा में ऑनलाईन दाखिल आवेदकों से प्राप्त दावा /आपत्ति आदि का निराकरण करते हुए श्रीमती अर्चना कुमारी, पति-रवीन्द्र यादव का चयन सर्वसम्मति से किया गया, तत्पश्चात आमसभा में ही सचिव, सदस्य सचिव महिला पर्यवेक्षिका द्वारा चयन पत्र

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का बियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनाबाड़ी पुनरीक्षण अपील वाद संख्या-23/2020 एवं 83/2020

अर्चना कुमारी.....अपीलकर्त्ता

दीपिका कुमारी.....मध्यवर्ती पक्षकार

बनाम

राज्य एवं अन्य.....रेस्पोण्डेन्ट

-: आदेश :-

यह आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद श्रीमती अर्चना कुमारी, पति-रवीन्द्र यादव, सा0-महुआ, मँझारी, निर्मली, सुपौल तथा मध्यवर्ती पक्षकार दीपिका कुमारी, पति-संतोष कुमार, सा0-महुआ, मँझारी, निर्मली सुपौल के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के आँगनबाड़ी अपील वाद सं0701/2020 में दिनांक 25.02.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है जिसके द्वारा सुपौल जिला के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल अंतर्गत ग्राम पंचायत मँझारी स्थित वार्डनं0-02 के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-92 हेतु आमसभा के द्वारा चयन को 01/2020 में यथावत रखा गया है एवं 02/2020 में आमसभा के चयन को गलत बताते हुए अर्चना कुमारी को चयनमुक्त करते हुए विपक्षी सुलोचना देवी का चयन करने का आदेश पारित किया गया है।

सदर्भित मामला संक्षेप में मामला निम्न है:-

बाल विकास परियोना, सुपौल अन्तर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड नं0-02 स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-92 पर सेविका चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त केन्द्र के सेविका चयन हेतु दिनांक 14.10.2019 को आयोजित आमसभा में ऑनलाईन दाखिल आवेदकों से प्राप्त दावा /आपत्ति आदि का निराकरण करते हुए श्रीमती अर्चना कुमारी, पति-रवीन्द्र यादव का चयन सर्वसम्मति से किया गया, तत्पश्चात आमसभा में ही सचिव, सदस्य सचिव महिला पर्यवेक्षिका द्वारा चयन पत्र

निर्गत किया गया। तत्पश्चात उक्त चयन के विरूद्ध अन्य आवेदिका सुलोचना, पति–वीरेन्द्र कुमार यादव, महुआ निर्मली एवं दीपिका कुमारी, पति–संतोष कुमार महुआ निर्मली, सुपौल द्वारा न्यायालय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार निर्मली, सुपौल के यहाँ वाद दायर किया गया जहाँ दोनों वाद खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के यहाँ दीपिका कुमारी द्वारा वाद सं0–01/2020 एवं सुलोचना कुमारी द्वारा वाद सं0–02/2020 लाया गया। दिनांक 25.02.2020 को पारित आदेश में वाद सं0–01/2020 में अर्चना कुमारी के चयन का सही करार दिया गया, जबकि वाद सं0–02/2020 में अर्चना कुमारी को चयन मुक्त करने का आदेश दिया गया। उक्त दोनों आदेश के खिलाफ अर्चना कुमारी को चयन मुक्त करने का आदेश दिया गया। उक्त दोनों के खिलाफ अर्चना कुमारी द्वारा वाद सं0–23/2020 एवं दीपिका कुमारी द्वारा वाद सं0–83/2020 इस न्यायालय में दाखिल किया गया।

दीपिका कुमारी का पक्ष :– परिवादी का मूल रूप से आरोप है कि दिनांक 14.10.2019 को आमसभा बाधित हो जाने के कारण प्रतिस्थापित दण्डाधिकारी अंचल अधिकारी, निर्मली द्वारा आश्वत किया गया कि पुनः आमसभा का आयोजन किया जाएगा, परन्तु दूसरे पोषक क्षेत्र में लोगों की उपस्थिति सूचना पंजी पर दिखाकर अर्चना कुमारी का चयन कर दिया गया, जो मेधा सूची में क्रमांक–5 पर था। मेरा चयन सिर्फ इस आधार पर नहीं किया गया कि मेरे पति का नाम मतदाता सूची में वार्ड नं0–11 का है, जबकि साथ ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल द्वारा जिस आवेदक (सुलोचना कुमारी) को चयतिन करने का निदेश दिया है उनका मासिक आय 22000/– रू0 महीना है एवं पति सरकारी सेवा में थे। इस आधार पर विपक्षी के चयन को अस्वीकृत करते हुए दीपिका कुमारी के चयन का आग्रह किया है।

<u>अर्चना कुमारी का पक्ष</u> :–

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद सुपौल जिला के बाल विकास परियोजना कार्यालय, निर्मली अन्तर्गत पंचायत मँझारी सुपौल जिला के वार्ड नं0–02 में स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–92 के सेविका पद पर पर चयन से संबंधित है जिसमें न्यायालयजिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा अपने आदेश में आवेदिका को चयनमुक्त करने का आदेश दिया गया है। समाहरणालय, सुपौल के ज्ञापांक 1052/प्रो0 दिनांक 19.

09.2019 द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर सेविका के चयन हेतु आमसभा की तिथि निर्धारित करते हुए चयन मार्गदर्शिका–2019 का उल्लेख करते हुए नियमानुसार चयन करने का आदेश दिया गया। उक्त वार्ड का आमसभा का आयोजन 14.10.2019 को किया गया। प्रस्ताव सं0–03 से सभी आवेदिकाओं के आवेदन पर विचार कर और आपत्ति का निराकरण कर फाईनल मेधा सूची बनाया गया। जिसमें क्रमांक–01 पर आवेदिका का नाम आया, जो सभी अर्हताओं को पूरा करती है, जिसे प्रस्ताव सं0–04 से सर्वसम्मति से चयन हेतु उपर्युक्त पाकर चयन किया गया था। सचिव व अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से चयन–पत्र निर्गत किया गया। विपक्षी सुलोचना कुमारी का मासिक आय–12000/–रू0 प्रतिमाह से अधिक है। ऑनलाईन आवेदन में उनके द्वारा आय 2,56000/–रू0 दिखाया गया है और आय प्रमाण–पत्र भी संलग्न नहीं किया गया। विपक्षी का पति सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और पेंशनधारी हैं, जिस कारण आय छुपायी भी नहीं जा सकती है। इसी आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निर्मली, सुपौल द्वारा भी सुलोचना कुमारी के दावा को सही नहीं माना गया, लेकिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल द्वारा व्यवहारिकता के विपरीत एक वाद 01/2020 में चयन को सही एवं एक वाद 02/2020 में चयनमुक्त करने का आदेश अपने आप में विरोधाभाषी एवं न्याय के विपरीत है। अतः वाद सं0–02/2020 में पारित आदेश खारिज करने योग्य है।

<u>विपक्षी सुलोचना देवी का पक्ष</u> :–

विपक्षी का कहना है कि दिनांक 19.10.2019 को आयोजित थी लेकिन मासिक आय 12000/– रू0 से अधिक के आधार पर मेरा चयन नहीं किया गया, जबकि ऑनलाईन आवेदन में वर्णित आपर 256000/–रू0 वार्षिक पति का है अभ्यर्थी का नहीं जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं। अतः आमसभा द्वारा परिवादी (अर्चना कुमारी) का चयन गलत तरीके से हुआ एवं दीपिका कुमारी अन्य परिवादी का चयन पोषक क्षेत्र से बाहर होने के कारण नहीं हुआ। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निर्मली, सुपौल द्वारा विपक्षी के आपत्ति को नजर अंदाज कर दिया गया और अर्चना कुमारी का चयन बरकरार रखाा गया तब जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के यहाँ दाखिल अपीलवाद 02/2020 में सुलोचना देवी (विपक्षी) के पक्ष में आदेश दिया गया, जबकि उसी दिन एक अन्य वाद 01/2020 में परिवादी अर्चना कुमारी के चयन को सही

माना गया।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय का आदेश विरोधाभाषी है। वाद सं0-02/2020 में निम्न न्यायालय द्वारा आय संबंधित प्रवधान की गलत व्याख्या की गयी है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 के कंडिका-6 के अनुसार आय 12,000 रू0 प्रतिमाह से अधिक रहने पर चयन हेतु अयोग्य होगें। विपक्षी का पति सेवानिवृत सरकारी सेवक है जिनकी वार्षिक आय 2,56,000 रू0 है जो प्रतिमाह 12,000 रू0 से अधिक है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश वाद सं0-01/2020 को सम्पुष्ट करते हुए एवं वाद सं0-02/2020 को खंडित करते हुए अर्चना कुमारी का चयन यथावत रखने का आदेश पारित किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

Qam 31/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

Qam 31/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।